झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक–5/प्रशि0(प्रशि0)–01/2026 - 623 राँची, दिनांक– 30.05.2026

आई०टी०आई० में शैक्षणिक सत्र 2026–27–28 में नामांकन से संबंधित सूचना

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, राँची द्वारा NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त राज्य के सभी सरकारी, झारखण्ड गवर्नमेंट टूल रूम आई0टी0आई0 गोला, निजी, पी0पी0पी0 एवं सी0एस0आर0 मोड पर संचालित आई०टी०आई० में शैक्षणिक सत्र 2026–27–28 में नामांकन के लिए योग्य आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. न्यूनतम अहर्ता :–
क) वायरमैन, मेशन (बिल्डिंग कन्स्ट्रक्टर), पेन्टर जेनरल, पलम्बर, वेल्डर, वेल्डर (GMAW & GTAW), वेल्डर (Fabrication & Fitting), सीविंग टेक्नोलॉजी, कटिंग एण्ड सीविंग, वुडवर्क टेक्नीशियन एवं वीबिंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एण्ड वुलन फैब्रिक्स व्यवसायों में नामांकन के लिए आवेदक को आठवीं (8वीं) कक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक है।
ख) उपरोक्त कंडिका में अंकित व्यवसायों को छोड़कर शेष अन्य सभी व्यवसायों में नामांकन के लिए आवेदक को दसवीं (10वीं) कक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक है।
ग) सरकारी, निजी, झारखण्ड गवर्नमेंट टूल रूम आई0टी0आई0 गोला, पी0पी0पी0 एवं सी0एस0आर0 मोड पर संचालित आई0टी0आई में निर्धारित सीटों पर नामांकन हेतु आवेदक को झारखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
घ) दिनांक–01.08.2026 को आवेदक की आयु न्यूनतम 14 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
ड.) नामांकन में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा जिला आरक्षण रोस्टर आधारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
च) सेवारत सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों/वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों (किसी भी वर्ग के) के लिए सभी आई०टी०आई० में प्रत्येक व्यवसाय में सीट एवं आयु राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार आरक्षित रहेगा।
छ) निःशक्त अभ्यर्थियों (दिव्यांग–जन) के आरक्षण के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

3. महत्वपूर्ण तिथियाँ :–

क्र0	विवरणी	तिथि
1	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	01.06.2026
2	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	25.06.2026
3	औपबंधिक मेधा सूचियों (आठवीं एवं दसवीं कक्षा) का प्रकाशन	29.06.2026 पूर्वाह्न 12:00 बजे

4. महानिदेशालय प्रशिक्षण, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में नामांकन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के निबंधित मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 पर पुरे शैक्षणिक सत्र में OTP प्राप्त होते रहेंगे, अतः अभ्यर्थी National Trade Certificate (NTC) उत्तीर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 नहीं बदलना सुनिश्चित करेंगे।

5. अभ्यर्थियों द्वारा आई०टी०आई० में नामांकन लेने के लिए आवेदन भरते समय कम से कम दस विकल्प (आई०टी०आई० एवं व्यवसाय) एवं अधिकतम तीस विकल्प का चयन किया जा सकता है।

6. महानिदेशालय प्रशिक्षण, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में आई०टी०आई० एवं व्यवसायों के स्वीकृत सीटों में परिवर्तन की स्थिति में आई0टी0आई0 एवं व्यवसायों के चयन में सुधार हेतु अवसर दिया जाएगा।

7. नामांकन संबंधी विस्तृत सूचना एवं किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना https://iti.jharkhand.gov.in के माध्यम से दी जाएगी।

8. किसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हेतु ITI Webportal के Grievance Section में टिकट Raise किया जा सकता है एवं आवश्यकतानुसार मो0 नं0– 9031785326 / 7717775369 / 8252575749 / 18001233444 / 06513523222 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण,
झारखण्ड, राँची।